ANNEXURE-II

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 27, 2000/आषाढ़ 6, 1922

No. 349] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 2000/ASADHA 6, 1922

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2000

सा.का.नि. 566(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1997 को अधिक्रांत करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्ण-कालिक सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त किया गया प्राधिकरण का कोई पूर्णकालिक सदस्य अभिप्रेत है;

(ङ) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इनमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में उनके हैं।

3. (1) वेतन और भत्ते :—

(क) अध्यक्ष को प्रतिमास 30,000 रुपये (नियत) वेतन संदत्त किया जाएगा।

(ख) सदस्य को प्रतिमास 26,000 रु. नियत, वेतन संदत्त किया जाएगा।

(ग) महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता :— अध्यक्ष और सदस्य केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन लेने वाले समूह "क" अधिकारी को लागू दर पर महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे :

परंतु अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की दशा में, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा से सेवा निवृत्त हुआ है और पेंशन, उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय के रूप में कोई सेवा निवृत्ति फायदों या अन्य रूपों में सेवा निवृत्ति फायदों को प्राप्त कर रहा है या जिसने प्राप्त किए हैं या जो प्राप्त करने के लिए हकदार हो गया है ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त की गई या प्राप्त की जाने वाली पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य रूप में सेवा निवृत्ति फायदों (उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर), यदि कोई हो, की सकल रकम को घटा दिया जाएगा:

परंतु यह और कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी सेवा, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों और/या स्वायत्त निकायों के अधीन सेवा भी है, से सेवा निवृत्त हुआ है अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है वह उसी दर पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो केंद्रीय सरकार के समतुल्य वेतन लेने वाले समूह "क" अधिकारी को लागू होती है किंतु वह ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके पदधारण करने की अवधि के दौरान पेंशन के संबंध में महंगाई राहत प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(ii) छुट्टी :—अध्यक्ष या सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन की उपार्जित छुट्टी का हकदार होगा। छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का संदाय केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा। अध्यक्ष या सदस्य किसी भी समय अपने खाते में जमा उपार्जित छुट्टी के पचास प्रतिशत के नकदीकरण का हकदार होगा।

(iii) भविष्य निधि:—अध्यक्ष और सदस्य अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाय करने का हकदार होगा जो अभिदायी भविष्य निधि नियम, 1962 द्वारा शासित होगा।

(iv) यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता :—अध्यक्ष और सदस्य दौरे या स्थानांतरण (जिसमें प्राधिकरण में पदभार ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा या प्राधिकरण में अपनी पदावधि की समाप्ति के पश्चात् अपने गृह नगर जाने के लिए की गई यात्रा भी है) के समय यात्रा भत्ता और अपने व्यक्तिगत सामान को ले जाने के लिए परिवहन भत्ते और दैनिक भत्ते उसी दर पर प्राप्त करने के हकदार होंगे जो केंद्रीय सरकार के समतुल्य वेतन लेने वाले समूह "क" अधिकारी को लागू होती है।

(v) देश में शासकीय दौरे:—अध्यक्ष और सदस्य दौरे के समय बाहरी शहरों में सामान्य किराए पर केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे अतिथि-गृह या निरीक्षण बंगलों में सरकारी वास सुविधा की ऐसी सुविधा के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन लेने वाले समूह "क" अधिकारी को लागू होती है। उस दशा में जब देश में शासकीय दौरे के समय वास सुविधा उपलब्ध नहीं है अध्यक्ष और सदस्य प्रतिपूर्ति आधार पर भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों और जहां भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल उपलब्ध नहीं हैं अन्य होटलों में प्रतिपूर्ति आधार पर ठहरने के हकदार होंगे। प्रतिपूर्ति दोनों दशाओं में केवल आवास प्रभारों तक और एकल कमरा अधिभोग आधार पर ही परिसीमित होगी।

(vi) छुट्टी यात्रा रियायत:—अध्यक्ष और सदस्य ऐसी दर पर छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा जो केंद्रीय सरकार के समतुल्य वेतन लेने वाले समूह "क" अधिकारियों को लागू होती है।

(vii) चिकित्सीय सुविधाएं :—अध्यक्ष और सदस्य केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम में यथाउपबंधित चिकित्सीय उपचार और अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार होंगे और जहां केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम प्रवर्तन में नहीं है उन स्थानों में अध्यक्ष और सदस्य केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 में यथा उपबंधित रूप से सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(viii) विदेश में शासकीय यात्राएं :—अध्यक्ष और सदस्य दूर संचार विभाग का भार साधक भारत सरकार के मंत्री के पूर्व अनुमोदन से और राजनीतिक कार्यों से संबंधित मुद्दों पर विदेश कार्य मंत्रालय से स्वीकृति लेने के पश्चात् विदेश में शासकीय यात्रा करने के हकदार होंगे। विदेश के दौरे की अवधि के दौरान दैनिक भत्ते और होटल वास सुविधा की व्यवस्था भारत सरकार की समान श्रेणी के अधिकारियों को लागू सरकारी अनुदेशों के अनुसार विनियमित होंगे। विदेश में भारतीय मिशन केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन लेने वाले समूह "क" अधिकारियों का यथा लागू व्यवस्थाएं करेंगे और सुविधाएं दिलवाएंगे।

(ix) वाहन सुविधा :—अध्यक्ष और सदस्य केंद्रीय सरकार के समतुल्य वेतन लेने वाले समूह "क" अधिकारी को उपलब्ध वाहन सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(x) वास सुविधा :—(क) अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार के द्वारा समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर किराया मुक्त सुसज्जित वास सुविधा या उसके स्थान पर उसके वेतन के साढ़े बारह प्रतिशत की दर पर मकान किराया भत्ते का हकदार होगा; और

(ख) सदस्य, केंद्रीय सरकार के समतुल्य वेतन लेने वाले समूह "क" अधिकारी को यथा लागू निवास स्थान का हकदार होगा।

[illegible]

[illegible]

[illegible] **निर्वचन** —इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है तो वह केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

[illegible] **अवशिष्ट उपबंध** :—सेवा अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तों से संबंधित मामलों की बाबत इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है उनके विनिश्चय के लिए प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा तथा तदुपरि, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय लागू होगा।

[illegible] **शिथिल करने की शक्तियां** —केन्द्रीय सरकार को अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की बाबत इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल करने की शक्ति होगी।

[फा. सं. 10-[illegible]/2000-ई सं ओ]

अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

प्ररूप—1

(नियम 4 देखिए)

भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए पद की शपथ का प्ररूप

मैं,———————————————जो अध्यक्ष/सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में नियुक्त हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से, भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना निर्वहन करूंगा।

अध्यक्ष/सदस्य का नाम

भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण

तारीख :

प्ररूप—2

(नियम 4 देखिए)

भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप

मैं,———————————————जो अध्यक्ष/सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में नियुक्त हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उक्त भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जब कि ऐसे अध्यक्ष/सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में अपने कर्त्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।

(अध्यक्ष/सदस्य का नाम)

भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण

तारीख :

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2000

G.S.R. 566(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 35 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), and in supersession of the Telecom Regulatory Authority of India (Salaries, Allowances and other conditions of service of Chairperson and other Members) Rules, 1997, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement:**- (1) These rules may be called the Telecom Regulatory Authority of India (Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and whole-time Members) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions:**- In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act", means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);

(b) "Authority", means the Telecom Regulatory Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(c) "Chairperson", means the Chairperson of the Authority appointed under sub-section (3) of section 3 of the Act;

(d) "Member", means a whole-time Member of the Authority appointed under sub-section (3) of section 3 of the Act;

(e) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

[illegible]

(a) The Chairperson shall be paid a salary of [illegible] per month fixed.

(b) The Member shall be paid a salary of [illegible] per month fixed.

(c) **Dearness Allowance and City Compensatory Allowance**:- The
Chairperson and a Member shall be entitled to draw dearness allowance and city
compensatory allowance at the rate applicable to a Group 'A' officer of the
Central Government drawing an equivalent pay:

Provided that in case of appointment of a person as the Chairperson or a
Member who has retired from the service under Central Government or State
Government and who is in receipt of, or has received or has become entitled to
receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employers
contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement
benefits, the pay of such Chairperson or Member, shall be reduced by the gross
amount of pension or employers contribution to the Contributory Provident Fund
or any other form of retirement benefits, if any (except pension equivalent of
gratuity), drawn or to be drawn by him:

Provided further that if a person who has retired from any service including
service under Central Government or State Government, Public Sector
Undertakings and/or Autonomous Bodies is appointed as the Chairperson or a
Member, he shall be entitled to receive dearness allowance at the same rate as
applicable to a Group 'A' officer of the Central Government drawing an
equivalent pay, but he shall not be entitled to receive dearness relief on pension
during the period he holds office as such Chairperson or a Member.

(ii) **Leave**:- The Chairperson or a Member shall be entitled to thirty days of
earned leave for every year of service. The payment of leave salary during leave
shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services(Leave) Rues, 1972. The
Chairperson or Member shall be entitled to encashment of fifty percent of earned
leave to his credit at any time.

(iii) Provident Fund:- The Chairperson and a Member shall be entitled to
subscribe to the Contributory Provident Fund which shall be governed by the
Contributory Provident Fund Rules, 1962;

(iv) Travelling Allowance and Daily Allowance:- The Chairperson and a
Member shall be entitled to travelling allowance and daily allowance for
transportation of personal effects while on tour or on transfer (including the

journey undertaken to join the Authority or on the expiry of his term with the Authority to proceed to his home-town), at the same rates as applicable to Group 'A' officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

(v) **Domestic official tours:-** The Chairperson and a Member, while on tour, shall be entitled to the facility of Government accommodation in guest houses or inspection bungalows run by the Central Government, wherever available, on payment of normal rent at outstations, as applicable to Group "A" Officers of the Central Government drawing an equivalent pay.

In case Government accommodation is not available while on domestic official tour, the Chairperson and a Member shall be entitled to stay in India Tourism Development Corporation hotels on a reimbursement basis and wherever India Tourism Development Corporation hotels are not available, in other hotels on reimbursement basis, re-imbursement in both cases being limited to lodging charges only, and on a single room occupancy basis;

(vi) **Leave Travel Concession:-** The Chairperson and a Member shall be entitled to leave travel concession at the same rate as applicable to Group 'A' officers of the Central Government drawing an equivalent pay;

(vii) **Medical Facilities:-** The Chairperson and a Member shall be entitled to medical treatment and hospital facilities, as provided in the Central Government Health Scheme and at places where the Central Government Health Scheme is not in operation, the Chairperson and a Member shall be entitled to facilities as provided in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944;

(viii) **Official Visits Abroad:-** The Chairperson and a Member shall be entitled to undertake official visits abroad with the prior approval of the Minister of the Government of India in-charge of the Department of Telecommunications and after clearance from Ministry of External Affairs on the points relating to political affairs. The daily allowance and provision of hotel accommodation during the period of tour abroad shall be regulated in accordance with the Government instructions as applicable to officers of equal grade in the Government of India. Indian Missions abroad shall take care of arrangements and extend facilities as applicable to Group "A" officers of the Central Government drawing an equivalent pay;

(ix) **Conveyance facility:-** The Chairperson and a Member shall be entitled to conveyance facilities at par with those available to a Group 'A' officer of the Central Government drawing an equivalent pay;

3. **Accommodation:-** (a) the Chairperson is entitled to rent free furnished residential accommodation at the rates specified by the Central Government from time to time for the purpose of house rent allowance at the rate of twelve and a half percent of his pay in lieu thereof; and

(b) a Member shall be entitled to residential accommodation as applicable to Group 'A' officers of the Central Government drawing an equivalent pay.

On demitting office, the Chairperson and Member shall be entitled to retention of residential accommodation for one month, on the same terms and conditions.

4. **Oath of Office and Secrecy** :- Every person appointed to be the Chairperson and Member shall, before entering upon their office, make and subscribe an Oath of Office and Secrecy, in the FORMS I and II annexed to these rules.

5. *Interpretation* :- If any question arises relating to the interpretation of these rules, the same shall be referred to the Central Government for its decision.

6. **Residuary provision** :- Matters relating to the terms and conditions of service of the Chairperson or a Member with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred by the Authority to the Central Government for its decision, and the decision of the Central Government thereon shall be applicable to the Chairperson or Member, as the case may be.

7. **Powers to relax** :- The Central Government shall have power to relax any provision of these rules in respect of Chairperson or any other Member.

[F. No. 10-11/2000-TCO]

ANIL KUMAR, Jt. Secy.

FORM – I
(See rule 4)

Form of Oath of Office for the Chairperson/Members of the Telecom Regulatory Authority of India

I, ____________________, having been appointed as the Chairperson/Member (*cross out portion not applicable*) solemnly affirm and do swear in the name of God I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chairperson/Member (*cross out portion not applicable*), of the Telecom Regulatory Authority of India, to the best of my ability, knowledge and judgement, without fear or favour, affection or ill-will.

(Name of the Chairperson/Member)

Dated: TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

FORM – II
(See rule 4)

Form of Oath of Secrecy for the Chairperson/Members of the Telecom Regulatory Authority of India

I, ___________, having been appointed as the Chairperson/ Member (*cross out portion not applicable*) do solemnly affirm and swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Chairperson/Member (*cross out portion not applicable*) of the said Telecom Regulatory Authority of India, except as may be required for the due discharge of my duties as the Chairperson/Member (*cross out portion not applicable*).

(Name of the Chairperson/Member)

Dated: TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054